



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1944 (श10)

(सं० पटना 433) पटना, सोमवार, 4 जुलाई 2022

सं० 3/एम0-25/2022-10540/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

28 जून 2022

विषय:— राज्य सरकार के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए भारत के निवासियों द्वारा देश के अन्दर/बाहर अवस्थित संस्थानों से प्राप्त की उपाधियों/डिग्रियों की मान्यता के संबंध में।

शिक्षक नियोजन के क्रम में बिहार के निवासी कतिपय आवेदकों द्वारा नेपाल के शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदत्त डिग्री/उपाधि नियोजन इकाईयों में समर्पित किया गया है। उक्त संदर्भ में बिहार सरकार के स्तर से कोई निर्णय संसूचित नहीं होने के फलस्वरूप नियोजन इकाईयों से प्राप्त रेफरेन्स के आलोक में इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से किया गया है। परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संदर्भ में कोई स्पष्ट निर्णय अब तक संसूचित नहीं है।

2. वर्णित स्थिति में किसी विदेशी राष्ट्र (नेपाल सहित) के शैक्षणिक संस्थानों से निर्गत प्रमाण-पत्रों/डिग्री को बिहार सरकार के अधीन नियुक्तियों में मान्यता/समकक्षता प्रदान किये जाने के संदर्भ में निर्णय लिये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।
3. विचाराधीन विषय के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि—
 - (i) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्र सरकार के अधीन नियुक्तियों में त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डू, नेपाल द्वारा प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्रों तथा नेपाल सरकार द्वारा आयोजित विद्यालय परित्याग परीक्षा को मान्यता प्रदान किया गया है।
 - (ii) भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-पी. 15-17/94-टी0एस0-IV दिनांक-13.03.1995 द्वारा निम्नांकित निर्णय संसूचित है—

"On the recommendation of the Board of Assessment for Educational Qualification, the Government of India have decided that those foreign qualifications which are recognised/equated by Association of Indian Universities, 16, Kotla Marg, New Delhi are treated as recognised for the purpose of employment to posts and services under the Central Government.

No separate order(s) for the recognition of such foreign qualifications is (are) needed to be issued."

स्पष्टतः भारत सरकार द्वारा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU) द्वारा मान्यता/समकक्षता प्राप्त सभी उपाधियों/डिग्रियों को भारत सरकार के अधीन नियुक्ति हेतु मान्यता प्रदान की गयी है।

4. Association of Indian Universities के Information Brochure में देश के अन्दर/बाहर अवस्थित विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रदत्त डिग्री/उपाधि की मान्यता/समकक्षता के संदर्भ में लिये गये निर्णय में नेपाल में अवस्थित संस्थानों द्वारा प्रदत्त डिग्रियों/उपाधियों के संदर्भ में ससूचित निर्णय निम्नवत् है—

(i) 40. The following is a list of +2 level qualifications and their nomenclatures recognized by AIU subject to that the education has been persued only on REGULAR MODE;

f. Intermediate/Senior Secondary/Higher Secondary examinations of the approved Boards in Pakistan, Bangladesh, Bhutan and Nepal;

(ii)

Examination Recognized	Awarding Authority	Equivalent Exam in India
Certificate Courses (12+ year courses) conducted at institute of Humanities and social sciences, sciences and business administration, commerce and public Administrations and Certificate in agriculture	Tribhuvan University	Pre-university (2 year Courses) new intermediate
Diploma (courses conducted at institute of Humanities and social sciences, sciences and business administration, commerce and public Administrations).	Tribhuvan University	B.A, B.Sc. and B. Com Degree awarded in India.
Intermediate Science Course	Kathmandu University, Kathmandu	+2 Stage Examination
One year Diploma in education after graduation	Tribhuvan University	B.Ed. Degree of an Indian University
Degree in Education (after B.Ed.)	Tribhuvan University	M.Ed. Degree of an Indian University
2 year Diploma in Education	Tribhuvan University	Certificate in education as the minimum qualification for admission is not graduation
I.A., I.Com., I.Sc.	Tribhuvan University	Corresponding Examinations
B.A., B.Com., B.Sc.	Tribhuvan University	Corresponding Degrees

5. स्पष्टतः भारत सरकार द्वारा भारत सरकार में नियुक्ति के संदर्भ में देश के अन्दर/बाहर अवस्थित संस्थानों द्वारा प्रदत्त डिग्री की मान्यता/समकक्षता के संदर्भ में अलग-अलग आदेश निर्गत नहीं किया गया है बल्कि उनके द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया है कि भारत के नागरिकों द्वारा देश के अन्दर/बाहर अवस्थित संस्थानों से प्राप्त की गयी Association of Indian Universities द्वारा मान्यता प्राप्त सभी डिग्री/उपाधि भारत सरकार में नियुक्ति के लिए मान्य होंगे।
6. अतः सम्यक् विचारोपरान्त बिहार राज्य के अधीन नियुक्तियों के संदर्भ में भी भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के समरूप निम्नांकित निर्णय लिया जाता है—
“देश के अन्दर/बाहर अवस्थित संस्थानों से भारत के नागरिकों द्वारा प्राप्त की गयी, Association of Indian Universities द्वारा मान्यता प्राप्त सभी डिग्री/उपाधि, बिहार सरकार में नियुक्ति के लिए मान्य होंगे।”
7. यह तुरत प्रवृत्त होगा।
- आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 433-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>